छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक.....17.....

दिनांक 18/11/2019

विषयः— छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्ववित्तीय/भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटित भवनों की संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर लंबित अवधि के ब्याज/दाण्डिक ब्याज में छूट प्रदान किए जाने बाबत्।

---***---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 60 वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 16/09/2019 के पद संख्या क्रमांक 09 संकल्प क्रमांक 1757/09/60/09/2019 द्वारा संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मिति से निर्णय लेते हुए मण्डल की स्ववित्तीय योजनांतर्गत एच.आई.जी., एम.आई.जी.,एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के बकायादारों को संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त (One Time Settelement) जमा करने पर स्ववित्तीय योजनांतर्गत विलंबित अवधि के ब्याज राशि में छूट एवं भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटियों को संपूर्ण बकाया राशि जमा करने पर दण्ड ब्याज राशि में छूट दिये जाने हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित कर मंत्रिमण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

उपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ.3-07/2019/32 दिनांक 18.11.2019. द्वारा प्राप्त अनुमोदन अनुसार मण्डल की स्ववित्तीय योजनांतर्गत एच.आई.जी., एम.आई.जी.,एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के बकायादारों को संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त (One Time Settelement) जमा करने पर स्ववित्तीय योजनांतर्गत विलंबित अवधि के ब्याज राशि में छूट एवं भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटियों को संपूर्ण बकाया राशि जमा करने पर दण्ड ब्याज राशि में छूट प्रदान किया जाये।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील होगा। समस्त संपदा अधिकारी/समस्त कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि भाड़ाक्रय योजनांतर्गत भारित दाण्डिक ब्याज की गणना के लिए मण्डल के परिपत्र क्रमांक 855 दिनांक 08/04/1993 में दिए गए निर्देशानुसार खाते तैयार कर केवल दाण्डिक ब्याज (3 प्रतिशत की दर से भारित अतिरिक्त ब्याज) की ही छूट प्रदान की जाए। इसी प्रकार स्ववित्तीय योजनांतर्गत लंबित अवधि के लिए भारित ब्याज एवं पूर्व में जमा राशि में देय ब्याज की किसी भी प्रकार से गणना न की जाए अर्थात् स्ववित्तीय योजनांतर्गत एकमुश्त राशि जमा करने पर आबंटियों से ना तो ब्याज लिया जाए, ना ही दिया जाए।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

कमशः—02

Scanned by CamScanner

पृ.क्र.2099/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/19 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18/11/2019

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ।
3. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)।
5. अपर आयुक्त,(जे/व्ही/पी) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
8. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
9. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त–रायपुर/वृत्त–नवा रायपुर अटल नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–01,02,03,04 रायपुर/राज. परिसंभाग–1,2,नवा रायपुर/संभाग–दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा/कोरिया की ओर सूचनार्थ।
11. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ~~नवा~~ क्षेत्र–01,02,03,04,05 रायपुर/~~सज.~~ ~~परिसंभाग–1,2,रायपुर~~/~~नवा~~ क्षेत्र–दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा/कोरिया की ओर सूचनार्थ।
12. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
13. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

Scanned by CamScanner